सत्यमेव जयते

# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## एकादश सत्र

## तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{10 फाल्गुन, 1945 (श०)}}{\text{29 फरवरी, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 115

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | .. | .. | .. | 21 |
| (2) | नगर विकास एवं आवास विभाग | .. | .. | .. | 39 |
| (3) | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | .. | .. | .. | 32 |
| (4) | कृषि विभाग | .. | .. | .. | 08 |
| (5) | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | .. | .. | .. | 09 |
| (6) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .. | .. | .. | 03 |
| (7) | सहकारिता विभाग | .. | .. | .. | 03 |
| | | | | कुल योग -- | 115 |

CCTV कैमरा लगाना

''क''-*129. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत के शेरघाटी प्रखण्ड के प्रमुख चौक-चौराहों एवं सभी वार्डों के मुख्य मार्ग पर CCTV कैमरा नहीं लगे रहने से व्यापारियों एवं आमजनों के साथ होने वाली छिनतई की घटना का रिकॉर्डिंग नहीं होने से अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शहर के चौक-चौराहों एवं सभी वार्डों के मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिक्रमण से मुक्त कराना

''ख''-*634. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के दखिम गाँव पंचायत जो अब नगर पंचायत में स्थित है, सिंचाई हेतु मुख्य पईन उसरी टाल से निकलती है जो वजीरगंज बाजार होते हुये पूरा ग्राम तक जाती है, वजीरगंज बाजार से लगभग दो किलो मीटर का क्षेत्र अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पईन की सफाई हेतु परिवाद दायर होने के उपरान्त लघु सिंचाई विभाग एवं मगध आयुक्त के द्वारा वजीरगंज अंचलाधिकार को कई बार अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्र दिया गया, लेकिन अभीतक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पईन को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

लाभ देना

*1274. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ नगर पंचायत में जो लोग भूमिहीन है ऐसे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में रह रहे लोगों को भूमि उपलब्ध कराकर भूमि का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

आपूर्ति करना

*1275. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा, पूर्णियाँ, भोजपुर, बक्सर सहित राज्य के अन्य जिलों में 733 वार्ड के पानी में आयरन के कारण राज्य के 733 वार्डों के 6 लाख लोगों के बीच नल जल का शुद्ध जल नहीं पहुँच रहा है, जिसके कारण आमजनता को बिमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के जिलों में सर्वेक्षण कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट--''क''-दिनांक 19 फरवरी, 2024 को सदन द्वारा गृह विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

''ख''-दिनांक 22 फरवरी, 2024 को सदन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

<u>प्रभारी मंत्री</u>--आंशिक स्वीकारात्मक । सहरसा जिलान्तर्गत कुल 2074 आयरन युक्त वाडों में से 1725 वाडों में लौह निष्कासन संयंत्र के अधिष्ठापनोपरान्त कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति दी जा रही है । शेष 345 वाडों का मामला (CWJC No. 1124/2020), माननीय उच्च न्यायालय, पटना में परिवाद होने के कारण विचाराधीन है एवं 5 वाडों में स्थानीय विवाद/बेचिरागी होने के कारण कार्य नहीं किया गया है, परन्तु वर्तमान जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थानीय विवाद सुलझा कर एक वार्ड में योजना पूर्ण कर दिया गया है एवं दूसरे वार्ड में योजना का कार्य प्रगति पर है । शेष अन्य विवादास्पद स्थल पर कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

सहरसा जिलान्तर्गत कुल 267 छूटे हुये टोले/बसावटों का निविदा निस्तार की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

पूर्णियाँ प्रमंडल अन्तर्गत कुल 1628 आयरन युक्त वाडों में से 1610 में लौह निष्कासन संयंत्र के अधिष्ठापनोपरान्त कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । शेष 10 वाडों का मामला (CWJC No. 4531/2020), माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में परिवाद होने के कारण विचाराधीन है ।

पूर्णियाँ प्रमंडल अन्तर्गत कुल 318 छूटे हुये टोले/बसावटों का निविदा निस्तार की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा अन्तर्गत कुल 1194 वाडों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य कराया गया है । इस प्रमंडल अन्तर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के 555 वाडों में Water Treatment Plant लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । भोजपुर जिलान्तर्गत कुल 1920 वाडों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है । इन वाडों में योजना का संचालन हेतु As is where is basis पर PHED को हस्तांतरित कर दिया गया है । जिलान्तर्गत कुल 3114 वार्ड है जिसमें किसी भी वार्ड में आयरन की समस्या नहीं है ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत कुल 924 अदद् वाडों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य कराया गया है । इस प्रमंडल अन्तर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में 196 अदद् वाडों में Water Treatment Plant लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । बक्सर जिलान्तर्गत कुल 1054 अदद् वाडों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है । इन वाडों में योजना का संचालन हेतु As is where is basis पर PHED को हस्तांतरित किया गया है । जिलान्तर्गत कुल 1978 वाडों में आयरन की समस्या नहीं है ।

--------

पेयजल उपलब्ध कराना

*1276. <u>श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))</u>--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड के तेलकप पंचायत नल जल योजना अन्तर्गत पेयजल की आपूर्ति बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में पेयजल की समस्या दूर करने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण करना

*1277. <u>श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के नवसृजित नगर पंचायत, काराकाट (गोड़ारी) में जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भी अबतक सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त नगर पंचायत में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1278. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-23 एवं 31 अन्तर्गत मस्जिद चौक से कॉलेजिट कॉलेज होते हुए हरख कोठी तक जाने वाली 01 कि0मी0 लंबी सड़क विगत पाँच वर्ष से जर्जर अवस्था में है, जिससे शहरवासियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़क का कबतक पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

पक्कीकरण कराना

*1279. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद्, रामनगर में दोनों कैनाल के तरफ से निकलने वाली रामरेखा शाखा शहर के बीचों बीच गुजरती है, जिसके दोनों तरफ बरसात के दिनों में कटाव होते रहता है, यदि हाँ, तो सरकार रामरेखा के दोनों तरफ पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

उपलब्ध कराना

*1280. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हाँसा के वार्ड नं0-1 महादलित टोला नया नगर वार्ड नं0-02 भोला ठाकुर टोला तथा वार्ड नं0-3 तीरन मुशहरी महादलित टोला में पानी टंकी दूर रहने एवं जनसंख्या अधिक रहने के कारण नल का जल अबतक इन टोलों में नहीं पहुँचा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित टोलों में नल का जल कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हाँसा के ग्राम-लक्ष्मीपुर के वार्ड नं0-01 मंडल टोला में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है तथा इस योजना से कुल 138 घरों में जलापूर्ति की जा रही है। इस योजना से लगभग 2.5 कि0मी0 की दूरी पर सेनानी टोला अवस्थित है, जो योजना के लाभ से वंचित है तथा यहाँ एक नई योजना की आवश्यकता है। इसी प्रकार वार्ड सं0-02 में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है तथा इस योजना से कुल 248 घरों में जलापूर्ति की जा रही है। इस योजना से महादलित टोला लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है, जिसमें 82 घर योजना के लाभ से वंचित है। यहाँ भी एक नई योजना की आवश्यकता है। साथ ही वार्ड सं0-3 में अवस्थित योजना से तिरन मुशहरी टोला लगभग एक कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ भी एक नई योजना की आवश्यकता है। उक्त छूटे हुए टोलों को आच्छादित करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-1121, दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के आलोक में निविदा सं0-NIT No.- 04/2023-24 से निविदा कर दी गई है। निविदा निष्पादन प्रक्रियाधीन है। चार माह में सभी छूटे हुए टोलों को आच्छादित करते हुए जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी ।

-------

कार्य कराना

*1281. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिला मुख्यालय नगर निगम को प्रत्येक माह 50 करोड़ का टर्न ओवर होता है जिसमें दो लाख से अधिक बिजली का बिल साथ ही सफाई के नाम पर 100 रुपये प्रतिमाह लिया जाता है फिर भी उक्त नगर निगम क्षेत्र से हथुआ मार्केट में विगत डेढ़ साल से नाली की सफाई नहीं हो रही है एवं परिसर में चारों तरफ कचड़े का अंबार लगा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार नाले एवं कचरे की सफाई सहित अन्य कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूची बनाना

*1282. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भूमिहीन परिवारों को जाँचोपरान्त पांच डिसमील जमीन सरकार को उपलब्ध कराना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प0 चंपारण जिला के योगापट्टी अंचल अंतर्गत विगत वर्षों में हजारों भूमिहीन परिवारों ने अपने भूमिहीन होने का फार्म भरा है, परन्तु अंचल द्वारा अबतक भूमिहीन परिवारों के लोगों को नहीं बनायी गयी है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए भूमिहीन परिवार को सूची बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

दोषी पर कार्रवाई करना

*1283. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मौजा-काजीपुर, थाना-कदमकुआँ जिला-पटना में श्रीमती देवी एवं श्री ललन प्रसाद के नाम से 2 कट्ठा जमीन है, जिसपर असामाजिक तत्वों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन मालिक द्वारा भूमि सुधार उप,समाहर्ता, पटना सदर के यहाँ सी0ए0एस0ई0-58 के तहत शिकायत दर्ज की गई, परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जमीन पर जमीन मालिक को दखल कब्जा दिलाने के साथ कार्य में बेवजह विलंब करने के लिये दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

शवदाह गृह का निर्माण

*1284. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा नगर परिषद् के गंडक नदी के किनारे वार्ड नं0 08 में नारायणपुर, वार्ड नं0 26 में रामधाम घाट एवं वार्ड नं0 21 सोझी घाट में शवदाह गृह निर्माण करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 में दी गयी थी, परन्तु शवदाह गृह का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1285. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती अंचल के मौजा बारा, खाता 141, खेसरा 507, 508, थाना-152, रकबा 1.20 डी० जमीन मोसमात जशोदा देवी, पति-मथुरा प्रसाद भगत के नाम दर्ज है, जबकि मा०उच्च न्यायालय पटना द्वारा वर्ष 2016 में उक्त जमीन का मालिकाना हक समान हिस्सों में प्लीडर कमिश्नर को बहाल कर विभाजित करने का आदेश दिया गया था, परंतु उक्त आदेश का उल्लंघन कर बिना प्लीडर कमिश्नर बहाल किये हुये एक पक्ष से मिलकर भू-माफिया द्वारा उक्त जमीन का मुख्य सड़क से सटे आगे एक भू-भाग म्यूटेशन करा लिया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आदेश के अनुरूप कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जलापूर्ति कराना

*1286. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बुडको द्वारा मुंगेर जिला के जमालपुर नगर परिषद् के वार्ड सं० 02, 03, 08, 18 एवं 33 में आंशिक घरों में जलापूर्ति हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों के पूर्ण घरों में जलापूर्ति का प्रबंध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

दर निर्धारण

*1287. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बास क्रय स्थल योजना एवं पुनर्वास योजना के अधीन भूमिहीनों को बसाने के लिये वर्ष 2012-13 के एम०भी०आर० (न्यूनतम समर्थन मूल्य) दर से भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में कोई भी भू-स्वामी अपनी निजी भूमि निर्धारित एम०भी०आर० दर पर देने को सहमत नहीं है, जिस कारण इस अतिमहत्वकांक्षी योजना का लाभ भूमिहीनों को नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना से संबंधित लाभुकों के हित में 2012-13 के निर्धारित एम०भी०आर० को संशोधित कर वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार दर निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्तर पर संचालित "अभियान बसेरा" कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अबतक कुल 1,14,811 सर्वेक्षित वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों में से कुल 96,594 परिवारों को विभिन्न स्रोतों की भूमि बन्दोबस्त किया गया है। इस कार्यक्रम

के अधीन बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत अबतक कुल 7,467 सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि आवंटित/बन्दोबस्त किया गया है।

(3) सरकार स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

------------

भवन निर्माण करना

*1288. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत गोरेयाकोठी विधान सभा क्षेत्र के बसंतपुर को नगर पंचायत का दर्जा वर्ष 2021 में प्राप्त हुआ है ;

(2) क्या यह बात-सही है कि बसंतपुर में अभीतक आमलोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण जन-जागरूकता या किसी प्रकार की संगोष्ठी के लिये सरकारी विद्यालय या गाँधी आश्रम का ही इस्तेमाल किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमानुसार बसंतपुर में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

मुआवजा देना

*1289. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत अहिरौली दान से बेतिया गोपालगंज, मंगलपुर पुल के दायां गाइड बाँध तक नवनिर्मित तटबंध का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तटबंध के लिये कुचायकोट प्रखण्ड के पंचायत विशभरपुर में कुल 13 किसानों का भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अबतक अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमि मालिकों को ससमय मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

पदस्थापन कराना

*1290. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 100 की संख्या में राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को वर्ष 2023-24 में D.C.L.R. एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नति दी गयी है, परन्तु अभीतक उक्त पदाधिकारियों का पदस्थापना D.C.L.R. एवं समकक्ष पद पर नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित पदाधिकारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा दिलाना

*1291. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के कल्याणपुर बाजार में प्रखंड मुख्यालय, थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभिन्न बैंकों की शाखा सहित अनेक छोटे-छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, साथ ही उक्त बाजार की आबादी 20 हजार से अधिक है, जो कि नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरा करता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कल्याणपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रोन्नति देना

*1292. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने का निर्णय लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अपने अधीनस्थ राजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों (अराजपत्रित) का पद चिन्हित करते हुये प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

विचार करना

*1293. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया से गंडक पुल के किनारे-किनारे रामचंद्र बांध तक की बीच चार घाट है परंतु सौंदर्यीकृत नहीं रहने के कारण इन घाटों पर छठ पर्व सहित अन्य मांगलिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हो पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी घाटों का सौन्दर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

राशि भुगतान करना

*1294. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, समस्तीपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बोनस की राशि 73 लाख जमा है, बावजूद दुग्ध उत्पादक किसानों को विगत 6 माह से बोनस राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस के लिये साखमोहन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के आमसभा में प्रस्ताव पारित होने के तीस दिनों के अन्दर भुगतान करने का प्रावधान है, जबकि उक्त दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च, 2023 को होने के बाद भी आजतक दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, समस्तीपुर से दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

सुविधा उपलब्ध कराना

*1295. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ०जा०)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा के लहनौता पंचायत के ग्राम-एकडेरवा में नल-जल योजना से ग्रामीण वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांवों के हर घर में पेयजल पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

उड़ाही करना

*1296. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के मंसूरचक, भगवानपुर चैर में जल-जमाव रहने के कारण किसानों के हजारों एकड़ जमीन हर साल बेकार रह जाते हैं, जिससे सैकड़ों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों चौरों में नहर की उड़ाही कराकर जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

निर्माण करना

*1297. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 स्थित पासवान चौक से भाया एजाजी चौक, बैतल चौक होते हुये पूसा फार्म रोड स्थित मुजाहिद चौक तक पूर्व निर्मित नाला काफी जर्जर एवं बहुत ही छोटे आकार का है, जो बढ़ी हुई आबादी के डिस्चार्ज पानी के निकासी में सक्षम नहीं है जिसके कारण उन इलाकों में जल-जमाव गंभीर समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में R.C.C नाला का निर्माण कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

व्यवस्था कराना

*1298. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नौतन एवं बैरिया प्रखड के 37 पंचायतों में मुख्यमंत्री चापाकल योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 में 375 चापाकल अधिष्ठापित कराया गया है जिसमें 215 चापाकल बंद है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर बंद पड़े चापाकल को उखाड़कर नया चापाकल अधिष्ठापित कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत प्रखंड नौतन एवं बैरिया के 37 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में स्वीकृत मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 370 चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया है । जिसमें से सभी चापाकल चालू अवस्था में है । विदित हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन दोनों प्रखंडों में कुल 592 चापाकलों का साधारण मरम्मती कराकर चालू कराया गया है ।

समय कार्य करना

*1299. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत परसा बाजार में कचड़ा उठाव, साफ-सफाई समयानुसार नहीं होने के कारण नगर पंचायत में गंदगी एवं कचड़ा का ढेर लग जाता है, जिसके कारण आमजनता को अनेक संक्रामक बीमारी होने की आशंका व्याप्त रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में कचड़ा उठाव एवं साफ-सफाई कबतक समयानुसार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्य चालू करना

*1300. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा )--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''60 फीसदी शहरों में 10 प्रतिशत कचरे का वर्गीकरण नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 142 पुराने शहरी निकायों में से करीब डेढ़ दर्जन शहर के 50 फीसदी घरों से डोर-टू-डोर कचरे का उठाव नहीं हो रहा है, जबकि 10 प्रतिशत कचरे का अभीतक वर्गीकरण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रावधान के बावजूद भी 100 से अधिक निकायों में कचरे की प्रोसेसिंग कर उसे पूरी तरह समाप्त किये जाने की व्यवस्था अभीतक शुरू भी नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शहरों के कचरों का वर्गीकरण करते हुये कचरे का उठाव एवं प्रोसेसिंग का कार्य राज्य के सभी निकायों में कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सभी 142 पुराने नगर निकायों में 98 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है एवं 95 प्रतिशत कचरे का वर्गीकरण (Segregation) किया जा रहा है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 142 पुराने नगर निकायों में 29 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है । सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिये 35 नगर निकायों में 51 एवं गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिये 90 नगर निकायों में 188 यूनिट कम्पोस्ट पीट कार्यरत है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिये 112 निकायों को कम्पोस्ट पीट एवं Material Recovery Facitlity (MRF) अधिष्ठापित करने की कार्रवाई की जा रही है एवं इसके लिये राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है ।

-------------

कार्रवाई करना

*1301. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डुमराँव नगर परिषद् अंतर्गत 'प्रबंधक डुमराँव राज्य प्रॉपर्टी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में होल्डिंग संख्या 61/15, 12+12/16, 6+6/1 सहित अन्य संपत्ति के स्व-कर निर्धारण में स्वयं उपयोगित संपत्ति तथा किराया पर दी हुई संपत्ति के असत्य विवरण देकर तथा अधिकारियों से मिलीभगत करके कम संपत्ति कर का भुगतान कर सरकार के राजस्व में हानि पहुँचायी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि होल्डिंग संख्या 436 एवं 362 में भी वास्तिक भूमि स्थिति का असत्य विवरण देकर अधिकारियों द्वारा संपत्ति कर निर्धारण एवं वसूली में निर्धारित नियमों के विरुद्ध राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जांच कराकर वास्तविक भूमि स्थिति के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण करने, बकाये संपत्ति कर की वसूली करने एवं राजस्व में हानि पहुँचाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

मरम्मत करना

*1302. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत बुडको द्वारा नल जल योजना के तहत सड़क खोद कर कार्य किया गया था परंतु सड़क की मरम्मती नहीं किये जाने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार खोदे गये सड़क को नये सिरे से मरम्मती करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

दोषियों पर कार्रवाई

*1303. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''20 जिलों से 77 हजार टन चावल गोदाम में नहीं पहुँचा'' के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद, गया, पटना, रोहतास, सारण, सहित लगभग 20 जिलों से लगभग 77 हजार टन चावल राज्य खाद्य निगम के गोदामों में नहीं पहुँचने के कारण जनता को चावल की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा सितम्बर, 2023 में ही इसे जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था, परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जांच कर कार्य में लापरवाही के लिये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

जमाबन्दी कराना

*1304. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के प० चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ जिलों के विभिन्न प्रखंडों में 1950 और 1970 के दशक में बंगाली शरणार्थी पुनर्वासित किये गये थे जिन्हें 4 से 5 एकड़ जमीन दी गयी थी जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी भी कायम था परन्तु इनके तीसरे पीढ़ी के वंशजों के बीच जमीन कई टुकड़ों में बंट जाने पर जमीन का जमाबंदी वंशज के नाम पर कायम नहीं किया गया है, जिस कारण उन सभी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिलों में बंगाली शरणार्थी परिवारों के वंशजों के नाम उनकी जमीन का जमाबंदी कायम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*1305. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2014 में किसान सलाहकार के रिक्त पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके तहत पटना जिला में 1720 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध 483 अभ्यर्थी सफल होने के पश्चात प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु 318 अभ्यर्थी उपस्थित हुए परन्तु सत्यापन उपरांत मोहम्मद अफताब आलम सहित 8 अभ्यर्थियों का आजतक विभाग द्वारा योगदान नहीं कराये जाने का क्या औचित्य है ?

-------

पशु-पक्षियों का इलाज करना

*1306. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पशु चिकित्सा नैदानिक संकुल में छोटे-बड़े जानवरों तथा पक्षियों के रोग की चौबीस घंटे अल्ट्रासाउंड एक्स-रे तथा पैथोलॉजिकल जांच के साथ इलाज की व्यवस्था वर्ष 2016 से की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहां पशुओं के रोग की जांच तथा इलाज मानव से किसी भी पैथोलॉजिकल लैब और अस्पताल से काफी महंगे होने से पशु-पक्षी पालकों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पशु चिकित्सा नैदानिक संकुल, पटना में पशुपालकों को अपने प्रिय पशुओं एवं पक्षियों का इलाज एवं किफायती दर पर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------

वासगीत पर्चा देना

*1307. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के नगला मुसहरी में 1970 के दशक के खाता नंबर- 39, प्लॉट नंबर 328 एवं 329 पर महादलित मुसहर जाति व अन्य महादलित व अति पिछड़ा जाति के परिवार बसे हैं जिनका 1988 में करीब 100 परिवार को इन्दिरा आवास भी मुहैया कराया गया है, परन्तु इन्हें जमीन का वासगीत पर्चा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगला मुसहरी में सभी परिवारों को वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण करना

*1308. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र के गोला रोड में सभी सामानों की थोक मण्डी अवस्थित है, जहाँ अत्याधुनिक शौचालय नहीं होने से दुकानदारों एवं खरीदारों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंडी में कबतक अत्याधुनिक शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

पुल निर्माण करना

*1309. श्री इजहारुल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं0 32 एवं 34 में खगड़ा में मझिया जाने वाली सड़क में ईंट भट्टा के निकट मझिया पुल वर्ष 2017 में आई बाढ़ से ध्वस्त हो चुका है, जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर पुन: नये पुल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेंडिंग जोन का निर्माण कराना

*1310. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''आठ साल में वेंडिंग जोन का नहीं हुआ निर्माण, दुकानदार परेशान'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा नगर निगम द्वारा वर्ष 2015 में ही निगत क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन आठ वर्ष उपरांत भी अबतक वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे फुटपाथी दुकानदारों को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर निगम क्षेत्र में कबतक वेंडिंग जोन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

सम्पूर्ण कराना

*1311. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिलों के विभिन्न अंचल क्षेत्राधीन राजस्व ग्रामों में भू-समेकन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और दीर्घकाल से प्रक्रियाधीन चकबंदी कार्य को कोई लाभ/फलाफल रैयतों को नहीं मिल पाया है, जिससे वे अपनी कृषि भूमि का विकास वो नहीं कर पा रहे हैं तथा कुछ चुनिंदा राजस्व ग्रामों की चकबंदी को संपुष्टि प्राप्त है परंतु संबंधित राजस्व ग्रामों के रैयतों/किसानों को उन्हें आवंटित चक पर दखल-कब्जा दिलाने की कार्रवाई दीर्घकाल से लंबित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लंबित चकबंदी प्रक्रिया की सम्पूर्णता का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------

निर्माण कार्य कराना

*1312. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''सी0ओ0 की सुस्ती से हजारों भवनों का निर्माण लटका'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 3144 मनरेगा भवन व 7347 प्रखण्डस्तरीय मनरेगा भवन का निर्माण, 1167 आँगनबाड़ी भवन, 1834 यात्री प्रतीक्षालय, 734 सामुदायिक भवन, 527 उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं 113 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल-15244 भवनों का निर्माण हेतु एक वर्ष पूर्व स्वीकृति दी गयी थी तथा राशि भी आवंटित की जा चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवनों के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु अंचलाधिकारियों द्वारा अभीतक नहीं दिया गया है, जिस कारण भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोषी अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा उक्त भवनों का निर्माण कार्य कबतक पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) यह विषय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए आंकड़े सुलभ नहीं है ।

(2) विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई ससमय पूर्ण की जाती है।

बिहार वित्त नियमावली के नियम-440 के आलोक में सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से किया जाना है। उक्त निदेश राजस्व विभागीय पत्रांक 2021, दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 द्वारा परिचारित है। सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए राजस्व विभागीय संकल्प 359(6) /रा0, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा 3.00 एकड़ तक अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की शक्ति समाहर्ता को एवं 3.00 एकड़ से अधिक 5.00 एकड़ तक प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

निर्माण करना

"ग"–*1313. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत पिपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत किशनपुर, पथरा, निर्माण धुमहा, पिपरा, महेशपुर, थरबिच पुर्नवास के मुख्य बाजार में एक भी सार्वजनिक शुद्ध पेयजल केन्द्र एवं शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण महिलाओं, वृद्धजनों, बच्चों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*1314. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत बथानी के ग्राम-ओढ़नपुरा में नल-जल योजना के तहत बोरिंग का कार्य अधूरा है, जो आजतक पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में पानी के लिये भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में अधूरे बोरिंग के कार्य को पूर्ण करवाकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

निर्माण करना

*1315. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "सैदपुर नाला ने एक और जान ली भूमि पूजन के चार माह बाद भी इस पर सड़क निर्माण शुरू नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना स्थित सैदपुर नाले में दिन-प्रतिदिन हो रहे आकस्मिक दुर्घटनाओं के मद्देनजर अविलंब नाले के जीर्णोद्धार-सह-सड़क निर्माण हेतु बुडको द्वारा विगत 6 माह पूर्व टेण्डर प्रकाशित किये जाने के बावजूद अभीतक जीर्णोद्धार-सह-सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि विगत 6 माह में नाले में डूबने से 6 व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, यदि हाँ, तो नाले का जीर्णोद्धार-सह-सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

-------------

व्यवस्था करना

*1316. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के जमालपुर नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत जलापूर्ति की वर्तमान व्यवस्था से वार्ड सं० 01, 09, 11, 12, 35 एवं 36 में पानी की आपूर्ति संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा अलग से जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिये 6 माह पूर्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, परन्तु अबतक विभाग स्तर पर कार्रवाई शून्य है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में कबतक समुचित जल वितरण की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट— "ग"- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित ।

दखल-कब्जा दिलाना

*1317. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ(अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बोचहाँ प्रखण्ड के ग्राम-वैधनाथपुर में खाता नं० 140, खेसरा 5 जमीन पर भूमिहीन परिवार को बंदोबस्त किया गया था, परन्तु उक्त जमीन पर दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर भूमिहीन परिवार को दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पर्चा दिलाना

*1318. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड के अमाना पंचायत के ग्राम-पड़री के मुकेश राय, पिता-सत्यनारायण राय विकलांग सहित अन्य भूमिहीन परिवार बिहार सरकार की जमीन पर 30 वर्षों से घर बनाकर रह रहा है तथा जमीन का वासगीत पर्चा हेतु आवेदन दिया है, परन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आँशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अंचल अधिकारी, सुरसंड द्वारा प्रश्न में वर्णित बिन्दुओं की जाँच आर०एस० खतियान से किया गया तथा पाया कि मौजा पड़री, थाना नं० 36, खाता सं० 182, खेसरा नं० 770, रकबा-06 डी० किस्म-बथान, गब्सन कब्जा राजदेव राय, पिता-आशा राय गैर-मजरूआ बिहार सरकार के नाम खतियान दर्ज है। उक्त खाता, खेसरा बिहार सरकार खास खाते की जमीन है। खेसरा नं० 770 गब्सन कब्जाधारी के भतीजा मिथिलेश राय, पिता-सत्यदेव राय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी के यहां वाद सं० M/124/14 अंदर दफा 145 दं०प्र०सं० दायर किया गया है, न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक श्री मुकेश राय के पिता/माता के नाम से 01 एकड़ से अधिक भूमि धारित करते हैं। आवेदक श्री मुकेश राय, पिता-सत्यनारायण राय सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

-------------

जमीन उपलब्ध कराना

*1319. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल नौतन के ग्राम पंचायत राज बरदाहा के वार्ड नं० 13 में नट जाति के 10 भूमिहीन विस्थापित परिवार चन्द्रावत नदी के किनारे टेंट में गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि इसके नाम से प्रधानमंत्री आवास आवंटित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिवार को जमीन का बासगीत पर्चा नहीं मिलने के कारण उक्त लाभ से वंचित है ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आँशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि अंचल नौतन के ग्राम पंचायत राज बरदाहा के वार्ड नंबर 13 में नट जाति के 10 भूमिहीन परिवार अवस्थित थे। जिनमें से 03 परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास आवंटित है, इनमें से 02 परिवार अपने आवंटित प्रधानमंत्री आवास में निवास कर रहे हैं एवं शेष सभी फूस की झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं।

(2) उत्तर आँशिक स्वीकारात्मक है ।

(3) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट है। शेष 07 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित करते हुये अभियान बसेरा 2 के अन्तर्गत अतिशीघ्र भूमि आवंटित कर पर्चा उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

कार्रवाई

*1320. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बारसोई अनुमंडल के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जनवरी, 2022 से सितम्बर 2023, तक अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (आपूर्ति) की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार उक्त पदाधिकारी को उक्त बैठक के संबंध में पत्रांक CLP/64/आ०का०/2023, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से पत्राचार कर जानकारी मांगी थी जिसका उत्तर उक्त पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले उक्त पदाधिकारी पर कबतक कार्यवाही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

निर्माण करना

*1321. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेघाटी के गांजा मोड़ से कसईया टोला, लोदी शहीद, लोहार टोली होते हुये बूढ़ी नदी तक नाला नहीं रहने के कारण लगभग 8 वार्डों में अवस्थित घरों के अवशिष्ट जल की निकासी में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् वार्ड 13 शुमाली मोहल्ला के मेन रोड मांझी टोला से हैदर साहब मोड़ तक सड़क एवं नाला नहीं रहने से मोहल्लेवासी का आवागमन बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थानों पर सड़क एवं नाला का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

केन्द्र खोलना

*1322. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत अकिलपुर पंचायत चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है, जहां पशु चिकित्सालय केन्द्र नहीं रहने के कारण पशुपालकों को गंगा नदी पारकर प्रखंड मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय आना पड़ता है, साथ ही पशुपालकों को पशुओं को इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अकिलपुर दियारा इलाके में पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अन्तर्गत प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, दिघवारा संचालित है । भ्रमणशील पशुचिकत्सा पदाधिकारी, दिघवारा द्वारा अकिलपुर पंचायत के पशुओं का पशु चिकित्सीय कार्य सम्पादित किया जाता है ।

प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, दिघवारा से अकिलपुर पंचायत की दूरी लगभग 07 कि०मी० एवं जानवरों की संख्या 3007 है ।

वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है ।

------------

सड़क एवं नाला निर्माण

*1323. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् में राजेन्द्र चौक से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक सड़क एवं दोनों तरफ का नाला तथा राजेंद्र चौक से अंबेडकर चौक तक की सड़क एवं एक तरफ का नाला जर्जर होने से लाखों की आबादी वाले फारबिसगंज नगर के छात्र-छात्राओं, मरीजों एवं आमजन को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज नगर परिषद् के उपरोक्त वर्णित जर्जर सड़क एवं नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कनेक्शन कराना

*1324. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत बैदा पंचायत के हालबैदा वार्ड संख्या 10 में नल जल योजना अन्तर्गत नल से कचड़ा और आयरनयुक्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है । यदि हाँ, तो सरकार शुद्ध जल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत बैदा पंचायत के हालबैदा वार्ड संख्या 10 में हर घर नल का जल योजना के तहत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना में लगाये गये लौह निष्कासन संयंत्र का बैकवास कराते हुये मिडिया बदलकर लौह मुक्त जलापूर्ति की जा रही है । जलापूर्ति किये जा रहे जल की जांच प्रत्येक तीन माह पर जिला जल जांच प्रयोगशाला में की जाती है । जल में लौह की मात्रा पाये जाने पर लौह निष्कासन संयंत्र में मिडिया इत्यादि को बदलकर शुद्ध जलापूर्ति की जाती है ।

------------

निर्माण करना

*1325. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 अन्तर्गत विष्णु सिनेमा चौक से सुभाष चौक तक जाने वाली 1 कि०मी० लंबी सड़क विगत पाँच वर्षों से जर्जर अवस्था में रहने के कारण शहरवासियों का आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क का कबतक पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समस्या से निजात पाना

*1326. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मुरलीचक मुख्य सड़क से मधुबन होते हुए नदी तक सड़क के किनारे का नाला साफ नहीं होने तथा जगह-जगह शाखा सड़क में होम पाईप नहीं लगे होने के कारण वार्ड संख्या 8, 9, 17, 18 एवं 19 में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों को जल-जमाव की समस्या से कबतक निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नगर निगम, सीतामढ़ी में नियमित रूप से नालों की सफाई करायी जाती है। नगर निगम सीतामढ़ी के वार्ड संख्या 8, 9, 17, 18 एवं 19 से जल-जमाव की समस्या का निदान हेतु करीब 500 मीटर में आर0सी0सी0 नाला निर्माण तथा ह्यूम पाईप अधिष्ठापित कराया गया है साथ ही पम्प सेट लगाकर पानी की निकासी किया जाता है। रिंग बांध पर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। उपरोक्त वार्डों से पूर्ण रूप से जल-जमाव की समस्या का निदान हेतु रुपया 10,456.00 लाख (एक सौ चार करोड़ छप्पन लाख रुपया) मात्र लागत से सीतामढ़ी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराया जा रहा है।

--------

बीमा की राशि देना

'घ'-*1327. श्री ललीत नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार फसल में किसी प्रकार की क्षति होने पर फसल बीमा की राशि किसानों को अनुदान देती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के शाहकुण्ड प्रखण्ड के पंचायत बेलथू, दरियापुर आदि तथा सुलतानगंज प्रखण्ड के असियाचक, खानपुर आदि पंचायतों के किसानों को हुई फसल क्षति का ससमय सत्यापन कार्य वर्ष 2023 में ही किये जाने के बावजूद अबतक फसल बीमा की राशि नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के वंचित किसानों को फसल बीमा की राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

शामिल करना

*1328. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के देवहरा पंचायत के ग्राम घेजना में भृगुरारी मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, यहाँ पुनपुन एवं मदर नदी का संगम है और लाखों श्रद्धालु स्नान करने एवं मेला देखने काफी दूर से आते हैं तथा संगम तट पर नटकी भवानी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम घेजना में आयोजित मेले को राजकीय मेला में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-520 (9), दिनांक 12 फरवरी, 2024 के द्वारा समाहर्ता, औरंगाबाद से गोह प्रखंड के देवहरा पंचायत के ग्राम-घेजना में लगने वाले भृगुरारी मेला को राजकीय मेला में सम्मिलित करने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत उक्त मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

---

नोट--''घ''--कृषि विभाग से सहकारिता विभाग में स्थानान्तरित।

योजना का लाभ देना

*1329. डॉ0 संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलांतर्गत गोगरी और परबत्ता प्रखंड के 80 से अधिक वार्डों में नल जल योजना अंतर्गत पानी टंकी और पाइप नही बिछने के कारण लोगों को स्वच्छ जल पीने का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में सर्वेक्षण कराकर लोगों को उक्त नल जल योजना का लाभ पहुंचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

शौचालय का निर्माण

*1330. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत नरपतगंज से होकर गुजरनेवाली NH 57 के किनारे बसे पड़ाव/सेड नहीं होने के कारण गर्मी, बरसात एवं ठंड में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे बस के इंतजार में घंटों समय बिताना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थल पर यात्री सेड एवं मूलभूत सुविधा बस पड़ाव में देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कार्रवाई करना

*1331. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा तथा आजमनगर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने कार्य स्थल पर नहीं रहते हैं जिसकी शिकायत तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई को जनप्रतिनिधियों तथा लाभुकों द्वारा की गई है परंतु उक्त पदाधिकारी पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कबतक कार्यवाही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1332. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के विभिन्न हल्का राजस्व कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर म्यूटेशन, परिमार्जन सहित अन्य जमीनी मामलों में किसानों का आर्थिक दोहन किया जाता है एवं रिश्वत नहीं देने पर ऑनलाइन आवेदनों को पेंडिंग कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भूमि उपलब्ध कराना

*1333. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बसेरा कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों का सर्वेक्षण कराए जाने के बाद 96,000 वासरहित भूमि वाले नए परिवार चिन्हित किए गए हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में चिन्हित वासरहित परिवारों में से 13,000 परिवारों को अभी तक आवास की जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वासरहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। अभियान बसेरा-1 कार्यक्रम के उपरांत वर्तमान में संचालित अभियान बसेरा-2 कार्यक्रम के तहत् अबतक 1,12,425 वासभूमि रहित नये परिवार चिन्हित/सर्वेक्षित किये गये हैं।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) अभियान बसेरा-1 कार्यक्रम के पूर्व के चिन्हित/सर्वेक्षित वासभूमि रहित परिवारों को माह-मार्च, 2024 तक वासभूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्तमान में अभियान बसेरा-2 के तहत् सर्वेक्षित कुल-1,12,425 वासभूमि रहित परिवारों में से अबतक कुल 8,356 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करा दी गई है। शेष परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

शामिल करना

*1334. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के हथियारा पंचायत के देवकुंड में प्राचीन बाबा दूधेश्वर नाथ का मंदिर एवं महर्षि चमन ऋषि का आश्रम है, जहाँ प्रत्येक वर्ष सावन मास में लाखों-लाख श्रद्धालु जलाभिषेक एवं मेला देखने आते हैं ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार देवकुंड मेले को कबतक राजकीय मेले में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-520(9), दिनांक 12 फरवरी, 2024 के द्वारा समाहर्ता, औरंगाबाद से गोह प्रखंड के हथियारा पंचायत का देवकुंड मेला को राजकीय मेला में सम्मिलित करने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त उक्त मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी ।

--------

पदस्थापित करना

*1335. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट में विगत दस माह से अंचलाधिकारी का पद रिक्त है जिसके कारण आमजन लोगों का जमीन से संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में रिक्त पद पर अंचलाधिकारी पदस्थापित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। विभागीय सूचना सं0-33(3)/रा0, 34(3)/रा0, एवं 35(3)/रा0, दिनांक 26 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों में अंचल अधिकारी/प्रभारी अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया गया है। उक्त विभागीय अधिसूचना सं0-33(3)/रा0, दिनांक 26 जनवरी, 2024 द्वारा अंचल कार्यालय, कुचायकोट, गोपालगंज में अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया गया है।

राशि का भुगतान

*1336. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत एन०एच० 80 फोर लेन के निर्माण के लिये किसानों से अधिग्रहित जमीन की मुआवजा राशि कम दी जा रही है, जिसके कारण किसानों में असंतोष है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी क्षेत्र में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा किसानों से लिये गये जमीन का मुआवजा उक्त स्थान की जमीन के अनुपात में अधिक दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के समतुल्य मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

सौन्दर्यीकरण कराना

*1337. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत नगर परिषद् खगड़िया में अवस्थित राजेन्द्र सरोवर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दो वर्ष से विभाग से अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त राजेन्द्र सरोवर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

योजना का लाभ देना

*1338. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत नारायणपुर पंचायत के पतियावां ग्राम के मुख्य मार्ग जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पतियावां होते हुये सरैया बाजार जाती है, के पतियावां ग्राम के मुख्य मार्ग के किनारे अवस्थित सभी घरों में हर घर नल का जल अभीतक नहीं पहुँचा है, यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर उक्त योजना का लाभ लोगों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

निर्माण करना

*1339. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2020 से ही सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया आरंभ की गयी, परंतु अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, जिसके कारण उक्त महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नगर निगम क्षेत्र में कबतक सम्राट अशोक भवन का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उपयोगी बनाना

*1340. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के बालदेव प्रसाद, सुकदेव प्रसाद उच्च विद्यालय, मनिहारी का खेल मैदान की सतह आस-पास की सड़कों से नीचे होने के कारण बरसात के समय उसमें पानी भर जाता है, जिससे वह उपयोग लायक नहीं रह पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मैदान की सतह को भरवाकर उपयोगी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

उपलब्ध कराना

*1341. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित बिहार प्रदेश के 50 से 60% किसान धान एवं गेहूँ के पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल के उत्पादन और उत्पादकता पर प्रतिकूल असर होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पुराने बीज के प्रयोग से फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को नये बीज के प्रयोग हेतु जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ शत-प्रतिशत अनुदानित धान एवं गेहूँ के बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

चापाकल लगाना

*1342. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोन तटीय इलाकों में सोन नदी से बालू उठाव के कारण चापाकल का जल स्तर दर्जनों गाँवों नीचे चले जाने के बाद पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है तथा गर्मी के मौसम आते ही चापाकल सुखने लगता है, यदि हाँ, तो सरकार कलेर, अरवल प्रखण्ड के दर्जनों सोन तटीय गांवों में कबतक चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

उपस्थिति सुनिश्चित करना

*1343. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्परण जिला के योगापट्टी में चमैनिया, योगापट्टी एवं नवलपुर में अवस्थित पशु अस्पताल में प्रतिदिन पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहने के कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभी पशु अस्पतालों में पशु चिकित्सक की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र स्थापित करना

*1344. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के विस्टोरिया पंचायत के ग्राम-डुमरिया में कृषि विभाग की 25 एकड़ खाली पड़ी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाली जमीन पर बीज अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

राशन की दुकान खोलना

*1345. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बोचहाँ के 1 ग्राम पंचायत करनपुर उत्तर के सत्यनारायण साह 2 ग्राम पंचायत उनसर के वशिष्ट राय एवं 3 ग्राम पंचायत मझौली के संतोष कुमार डीलर की मृत्यु हो जाने से उनके सरकारी राशन दुकान का लाईसेंस रद्द हो गया है जिसके कारण राशन दुकान बंद हो गया है तथा आमजनों को राशन लेने के लिये काफी दूरी तय करके दूसरे पंचायत के राशन दुकान में जाना पड़ता है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

नष्ट से रोकना

''च''-*1346. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घरों एवं कार्यालयों में आर०ओ० अधिष्ठापित हैं जिससे पानी प्यूरीफाई करने के क्रम में दुगुना पानी नष्ट होता है, यदि हाँ, तो सरकार भू-जल जैसे बहुमूल्य समपदा को नष्ट होने से रोकने के लिये कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1347. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय अंचल के गोमहर गांव०के खाता सं० 123, खेसरा सं०-362, रकबा 2 एकड़ 87 डी० बिहार सरकार, की सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है, इस सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचल कार्यालय, एकंगरसराय, नालन्दा के ज्ञापांक 4539, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 अतिक्रमण वाद सं० 33/2023-24 द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया है, परन्तु इतने समय बीत जाने के बाद भी उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट-- ''च''- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

जमीन उपलब्ध कराना

*1348. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत पताही प्रखंड के बागमती नदी बेलवा घाट से जिहूली, गोनाही, सुगापिपार ललुआ, सुगिया होते हुये बूढ़ी गंडक मोतीहारी तक नई नदी की खुदाई कार्य किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नदी की खुदाई कार्य होने से पताही प्रखंड के गोनाही ग्राम पंचायत के लगभग 150 घर के सैकड़ों लोग बेघर एवं भूमिहीन हो गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोनाही पंचायत के बेघर हुये लोगों को जमीन उपलब्ध करना चाहती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

योजना का लाभ दिलाना

*1349. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मछली बीमा योजना लागू करने मे विफल रही है, जिसके कारण बीमारी से मछलियों को मरने बाढ़, सुखाढ़ और चोरी से होने वाली हानि की भरपाई उक्त बीमा योजना से मछली पालकों को नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मत्स्य पालकों को मछली बीमा योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पक्कीकरण करना

*1350. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, दानापुर के कुसुमपुर कॉलोनी, वार्ड नं० 37 में बेली रोड दीघा नहर पथ स्थित बुद्धा कैंसर सेंटर के निकट से उमरावती अपार्टमेंट तक जाने वाली पथ में लीड्स ऐशियन स्कूल पूर्वी गेट के पास नाला का अभाव में सालों भर सड़क पर पानी जमा रहता है तथा सड़क कच्ची है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कच्चे पथ एवं नाला का कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमा कराना

*1351. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के रोहतास, एनोहट्टा एवं तिलौथू प्रखंड में कोई भी उसना चावल का मिल नहीं हैं, जिसके चलते किसानों से खरीदे गये धान को वहां के पैक्स गोदामों से जिले के अन्य उसना मिल ले जाने में अधिक किराया लगता हैं, जिसके चलते उक्त प्रखंडों के पैक्स, डिफॉल्टर होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार जबतक उक्त प्रखंडों में उसना चावल मिल का स्थापना नहीं करती है तबतक पैक्स से सिर्फ अरवा चावल जमा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जलापूर्ति करना

*1352. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड के परसा पंचायत के वार्ड सं० 15 के श्रीपुर ग्रामवासियों के हर घर में नलजल योजना का लाभ पिछले तीन महीनों से नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार अतिमहत्वपूर्ण हर घर नल का जल योजना का लाभ दिलाने हेतु वहां जलापूर्ति सुनिश्चित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य प्राप्त करना

*1353. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य बांस मिशन वन क्षेत्र के तहत कोसी और सीमांचल के जिले का चयन किया गया था लेकिन कार्य योजना के अभाव में एवं बांस की नर्सरी एवं बांस आधारित उद्योग नहीं रहने से कोसी एवं सीमांचल जिलों में बांस की खेती समाप्त होने के कगार पर है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसान हित में बांस की खेती को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

कार्रवाई करना

*1354. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में संत श्री वराहना महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर के निर्माण हेतु स्व० महंथ सहजानंद दास एवं स्व०मेहथ वंशरोपन दास ने दिनांक 27 अगस्त, 1984 को वार्ड नंबर 3 मौजा-जगदीशपुर के खाता 502, खेसरा 2600 रकबा एक एकड़ बावनी डी० जमीन महामहिम राज्यपाल बिहार के नाम से रजिस्ट्री किया गया था जिसका रसीद भी कटता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि महामहिम राज्यपाल के नाम से दान की गयी जमीन को फर्जी तरीके से महंथ रामजीवन दास ने पूर्व प्रचार्य बिरेन्द्र सिंह एवं राजस्व पदाधिकारियों के मिलीभगत से अपने नाम से करा लिये हैं और रसीद भी कटा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त जमीन को पुनः राज्यपाल के नाम पर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

चापाकल लगाना

*1355. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान सभा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से वर्षा कम होने से भूमिगत की समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चापालक की सुविधा नहीं होने से क्षेत्र की जनता को पानी के लिये एक से दो कि०मी० की दूरी तय करनी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संपूर्ण बथनाहा विधान सभा में सार्वजनिक स्थानों, दलित बस्ती एवं मठ मंदिर के समीप नये चापालक लगवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निदेशित करना

*1356. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत नगर परिषद् (पूर्व नगर पंचायत) झंझारपुर में बुडको द्वारा वार्ड सं० 12 एवं 13 में शहरी पेयजल योजना के तहत एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जलापूर्ति हेतु ऑपरेटर एवं तकनीशियन की स्थायी नियुक्ति नहीं किये जाने तथा अस्थायी रूप से कार्यरत उक्त कर्मियों का वेतन भुगतान लंबित रहने के कारण उक्त वार्ड में पानी की आपूर्ति बाधित रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में कबतक नियमित जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

आवश्यक कदम उठाना

*1357. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि फसलों पर ड्रोन द्वारा कीटनाशकों एवं नैनो यूरिया छिड़काव हेतु सेवा उपलब्ध कराने वाली बड़ी कंपनियां या सेवा प्रदाता एजेंसियों की उदासीनता के कारण प्रत्येक वर्ष राज्य में 35 प्रतिशत फसल कीट, खरपतवार एवं बैक्टीरिया के कारण बर्बाद हो जाती है, साथ ही पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने से किसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन द्वारा शत-प्रतिशत फसलों पर कीटनाशकों एवं नैनो यूरिया छिड़काव हेतु कबतक आवश्यक कदम उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

चापाकल चालू कराना

*1358. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य योजना अन्तर्गत साधारण चापाकलों एवं पुराने बंद चापाकलों के आस-पास तथा अन्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार चापाकल लगाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया विधान सभा क्षेत्र के चिरैया एवं पताही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में 100 से अधिक चापाकल विगत 12 माह से बंद पड़े हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त दोनों प्रखंडों मे बंद पड़े चापाकलों को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

निष्पादन करना

*1359. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि परिमार्जन हेतु हजारों की संख्या में आवेदन बक्सर जिला के अंचल कार्यालयों में वर्ष 2017 से लम्बित है, यदि हाँ, तो सरकार एक निश्चित समयावधि का निर्धारित कर परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । समाहर्ता, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं ऑनलाइन प्रतिवेदन के अनुसार बक्सर जिला के विभिन्न अंचलों में परिमार्जन हेतु दिनांक 13 फरवरी, 2024 तक कुल 82403 आवेदन प्राप्त हुये। जिसके विरुद्ध 82169 आवेदनों का निष्पादन किया गया है तथा शेष 234 लंबित आवेदनों को निष्पादन करने की कार्रवाई की जा रही है।

संपर्क पथ बनाना

*1360. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत एकमा बाजार वार्ड नं0-19, ग्राम-हेकाम टोला बनकट में आने-जाने के लिए कोई संपर्क पथ नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में कबतक सम्पर्क पथ बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मरम्मती कराना

*1361. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर प्रखण्ड के संतनगर एवं मेहथ पंचायत में चापाकल बंद पड़े हैं, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में चापाकल ठीक कराकर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। इस प्रमंडल के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत संतनगर पंचायत में कुल 112 अदद् चापाकल है, जिसमें 96 अदद् चालू, 12 अदद् निष्क्रिय चापाकल है। 04 अदद् चापाकल मरम्मती कराकर चालू किया गया है एवं मेहथ पंचायत अंतर्गत कुल 95 अदद् चापाकल है, जिसमें 82 अदद् चालू, 08 अदद् निष्क्रिय चापाकल है। 05 अदद् चापाकल की मरम्मती कराकर इस वित्तीय वर्ष में चालू किया गया है। आमजन द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर चापाकल की मरम्मती कराकर चालू कर दिया जाता है। इन पंचायतों में पेयजल की कोई समस्या नहीं है। इन दोनों पंचायतों में हर घर नल का जल योजना के तहत नल से जलापूर्ति की जा रही है।

--------

भवन का निर्माण

*1362. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने हेतु ''मुख्यमंत्री मत्स्य बाजार निर्माण योजना'' के तहत मछली हाट के भवन का निर्माण किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायतान्तर्गत बस स्टैंड मछली हाट एवं सोनपुर प्रखंड के नयागाँव बाजार, कसमर मछली हाट में भवन निर्माण नहीं होने के कारण मत्स्य बिक्रेता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित मछली हाट में कबतक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

वासगीत पर्चा देना

*1363. श्री गुंजेश्वर साह-(क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के नवहट्टा, महिषी व सत्तर कटैया अंचल में सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि, खेती व वास के लिए भूमि बंदोबस्ती पर्चा व वासगीत पर्चा के माध्यम से दी गई थीं, परन्तु इससे कुछ भूमिहीन वंचित रह गए हैं, यदि हाँ, तो सरकार छूटे हुए भूमिहीन वंचित परिवारों को वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*1364. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित मोहनपुर, काठों मोहम्मदपुर, बघवा एवं पहाड़पुर, सलखुआ प्रखंड स्थित चानन, अलानी, कोपरीया एवं कबीरा तथा महिषी प्रखंड स्थित अइना, नहवार, सिरवार-बिरवार एवं राजनपुर पंचायत में लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा नल जल योजना के तहत लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद इन पंचायतों में लोगों को अभीतक पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

जीर्णोद्धार करना

*1365. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश A (पत्रांक-4257, दिनांक 12 सितम्बर, 2022A) पर दरभंगा नगर निगम ने अपने पत्रांक 4063, दिनांक 8 दिसम्बर, 2022 द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत 22 तालाबों पोखरों के जीर्णोद्धार करने हेतु प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 16 माह बीत जाने के बाद भी अभीतक खंड (1) में भेजे गए तालाबों, पोखरों के जीर्णोद्धार के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में भेजे गए योजनाओं की स्वीकृति देकर पोखरों/तालाबों का जीर्णोद्धार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*1366. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ प्रखंड मुख्यालय में रेफरल अस्पताल के नजदीक एवं राजकीय पोलटेक्निक कॉलेज की सड़क के किनारे अतिक्रमण कर झुग्गी-झोपड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जगहों पर किये जा रहे अतिक्रमण को जनहित में कबतक हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

पानी की सप्लाई कराना

*1367. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड के ढोढिया दादपुर पंचायत के बैरिया राही और ढोढिया मंडल टोला, यादव टोला के वार्ड नं0 10 और 11 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना का जो कार्य किया गया है उससे अबतक पानी की सप्लाई हर घर तक नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार हर घर तक पानी की सप्लाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा दिलाना

*1368. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अंचल फुलवारीशरीफ के ग्राम-हिन्दुनी, पंचायत नोहसा, ग्राम-महुली, पंचायत सुईथा तथा ग्राम-अधपा-पंचायत सारेमपुर और पंचायत रामपुर फरीदपुर के महादलित भूमिहीनों को सरकार द्वारा 2011-12 में 03-03 डी० जमीन दी गयी थी, जिसका खाता नं० 158, खेसरा नं० 30, तथा खाता नं०-85 खेसरा नं० 663 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान के महादलित परिवार को उक्त जमीन का पर्चा होने के बावजूद अबतक जमीन पर दखल-कब्जा दिलाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित भूमि पर महादलित परिवारों को दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पशु अस्पताल निर्माण करना

*1369. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--स्थानीय हिंदी दैनिक समचार हिन्दुस्तान-समाचार-पत्र में दिनांक 3 फरवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य में पशु चिकित्सकों के 40 फीसदी पद खाली'' के आलोक में क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सकों को 2090 पद रिक्त है जबकि कार्यरत चिकित्सक मात्र 1250 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सकों की कमी के कारण बीमार पशुओं का इलाज नहीं हो पाता है इससे दुध एवं मांस के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही बीमार गाय, भैंस के दुध उपयोग करने से आदमी के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खाली पड़े पदों पर पशु चिकित्सकों को नियुक्त करने एवं पशु अस्पताल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

दोषी पर कार्रवाई

*1370. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत बी०सी०ओ० द्वारा एक ट्रक पर चावल के उठाव में 25 हजार रुपया लेकर चावल उठाव कराया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

विचार करना

*1371. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में स्थित शाहाबाद डेयरी द्वारा पशुपालक किसानों से पहले 350 लाख लीटर प्रतिदिन दुध लिया जा रहा था और अब महज 120 लाख लीटर प्रतिदिन ही लिया जा रहा है, किसानों को दुध का पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार पशुपालक किसानों से पूर्व के अनुरूप दुध लेने और समय पर दुध का पैसा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निष्पादन करना

*1372. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गोराडीह अंचल कार्यालय में परिमार्जन के 5000 से अधिक आवेदन एवं दाखिल-खारिज के लगभग 1800 आवेदन लंबित है, जिससे आवेदकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करते हुये कबतक लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुनर्निर्माण कराने का विचार

*1373. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत बड़ी बाजार में सरकारी भूमि पर साप्ताहिक सब्जी मंडी लगती है, जो जर्जर अवस्था में रहने के कारण आमजनों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंडी का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

व्यवस्था कराना

*1374. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलुपर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत कोदवार पंचायत के वार्ड नंबर-3 स्थित यादव टोला में ''हर घर नल-जल'' योजनान्तर्गत घरों में लगे नल कनेक्शन से पानी नहीं पहुँच पाने के कारण पेयजल की गंभीर समस्या है, जिससे ग्राम वासियों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल हेतु अतिरिक्त बोरिंग कराने एवं जलमीनार की स्थापना कर पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमीन मुहैया

*1375. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में हरिओ पंचायत के गोविन्दपुर मुसहरी और कहारपुर गांव का दो सौ परिवार कोसी नदी के कटाव से विस्थापित होकर 10 वर्षों से बिहपुर रेलवे के जमीन पर रह रहे है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विस्थापित परिवार को कबतक जमीन मुहैया कराना चाहती है, हाँ, नहीं, तो क्यों ?

-------------

सड़क का निर्माण

*1376. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र मे वार्ड नं०-35 में पूर्वी गोला रोड आनंद बिहार कॉलोनी, रोड नं० 01 रानी देवी के घर से हरी कृपा अपार्टमेंट होते हुये शेखर कुमार के मकान तक की सड़क जर्जर है, जिससे आये दिन सड़क दुर्घटना होती रहती हैं, साथ ही नाले का पानी सड़क पर ही बहते रहने से बरसात के अलावा आम दिनों में भी जल-जमाव की समस्या के कारण स्थानीय निवासियों एंव राहगीरों को पैदल चलने में भी काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1377. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री की सम्पूर्ण सड़क की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों को पैदल चलने में भी काफी कठिनाई होती है एवं बरसात के अलावा आम दिनों में भी जल-जमाव की समस्या के कारण नारकीय स्थिति से गुजरना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमीन बंदोबस्ती करना

*1378. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड अन्तर्गत संजात पंचायत के हरिचक ग्राम, वार्ड नं० 12 में खाता नं०-1, खेसरा नं०-144, रकबा-22 कट्ठा जमीन पर भूमिहीन परिवारों को वासगीत का पर्चा दिया है, परन्तु अनियमितता करके वहां के स्थानीय निवासी बालेश्वर पासवान के नाम से जमीन का बन्दोबस्त कर दिया गया है जिसके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये सरकार द्वारा पूर्व में बंदोबस्त किये गये भूमिहीन परिवारों के नाम से ही जमीन बंदोबस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमीन उपलब्ध कराना

*1379. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में दक्षिणी गवन्द्रा पंचायत के वार्ड नं०-10, नगरगांवा अनुसूचित जाति बस्ती में हरिफ राम के घर से भागीरथ राम के घर तक लगभग 500 मी० में अनुसूचित जाति, महादलित परिवार के 50 घर एवं 250 के करीब जनसंख्या निवास करती है, बस्ती किसी भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़ी है, आवासित आबादी पगडंडी सड़क से जो रैयती भूमि है, किसी प्रकार आते-जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित महादलित बस्ती में संपर्क पथ के लिये महादलित क्रय नीति के तहत रैयती भूमि क्रय करके जमीन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जल की आपूर्ति

*1380. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी पंचायत के वार्ड नं०-5 (देहलबाड़ी पश्चिम टोला) एवं वार्ड नं०-6 (देहलबाड़ी पूरब टोला) में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल का कार्य कराया गया है, परन्तु पाइपों को ठीक ढंग से नहीं लगाने के कारण अबतक सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीण इस योजना का लाभ ठीक ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर कबतक नियमित रूप से जल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

मुआवजा देना

*1381. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में रबी या खरीफ फसलों के नुकसान होने पर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है, परंतु खेतों में लगी या खलिहानों में रखी खरीफ या रबी फसलों में बिजली की शॉर्ट-शर्किट से आग लगने अथवा अन्य कारणों से जल जाने पर मुआवजें के तौर पर न्यूनतम राशि दी जाती है, यदि हाँ, तो सरकार प्रति हेक्टर या बीघे में न्यूनतम उपज की राशि मुआवजे के तौर पर कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?.

-------------

योजना का लाभ देना

*1382. डॉ० संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परवत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत नगर पंचायत परबत्ता, वार्ड 3 कन्हैयाचक में गरीब परिवार सौ वर्षों से अधिक समय से गैर-मजरूआ जमीन पर बसे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत में सम्मिलित होने से पहले यहां के गरीब परिवार को प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता था, परन्तु नगर पंचायत में आने के बाद सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों को वजह से गरीब परिवार अब उक्त आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर अवस्थित गरीब परिवारों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

उपाय करना

*1383. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर में अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है परन्तु भू-जल स्तर 10 फीट से अधिक नीचे चला गया है जिसके कारण लोगों में त्राहिमाम है, यदि हाँ, तो सरकार लोगों को पेयजल की किल्लत दूर करने हेतु कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है और कबतक ?

------------

भूमि बांटना

*1384. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा अंचल में मौजीहरि सिंह पंचायत में करीब 200 एकड़ भूमिहीन परिवार निवास करते हैं एवं लगभग 200 एकड़ सकारी जमीन भी इसी पंचायत में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन को प्रावधान के तहत भूमिहीनों के बीच वितरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

दुकान आवंटित करना

*1385. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित कारगिल चौक के निकट हरियाली मार्केट के 8 दुकानों को डबल डेकर सड़क निर्माण हेतु एक वर्ष पूर्व तोड़ दिया गया था तथा जिला प्रशासन, पटना के द्वारा ध्वस्त दुकानों के एवज में बगल के खाली जमीन पर दुकान निर्माण कर पुन:आवंटन करने का निर्देश दिया गया था परन्तु अभीतक दुकान निर्माण नहीं होने से 8 दुकानदार भुखमरी के कगार पर हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित दुकान का निर्माण कराकर दुकानदारों को आवंटित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

फास्ट ट्रैक लगाना

*1386. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सीलिंग अधिशेष भूमि का लगभग एक लाख एकड़ जमीन से संबंधित वाद विभिन्न न्यायालयों (ए०डी०एम० कोर्ट, डी०एम० कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) में दिनांक 9 सितम्बर, 1970 से लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि के वादों का निस्तारण त्वरित गति से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

राज कुमार,<br>
सचिव,<br>
बिहार विधान सभा ।

पटना:<br>
दिनांक 29 फरवरी, 2024 (ई०) ।

बि०स०मु०-99 (एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी०-550